

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास अनुभाग-6)

पत्रांक:एफ.14(40) ग्रावि/अनु0.6/MLALAD/2015

जयपुर, दिनांक 28, 2.2018

“विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम”- परिपत्र में संशोधन के क्रम में।


विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा प्रचलित दिशा-निर्देशों के संलग्न अनुमत कार्यो की सूची परि.-“1” में क्रम संख्या 15 में विभागीय समसंख्यक परिपत्र दिनांक 27.02.2018 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अम्बेडकर भवन को सम्मिलित करते हुए निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया गया है :-

- 15 पुस्तकालय भवन/बस स्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/खेल मैदान (PLAY GROUND) /वाल्मिकी भवन/अम्बेडकर भवन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ।

उक्त जारी प्रावधान को आंशिक संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढा जावे :-


- 15 पुस्तकालय भवन/बस स्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामगृह/स्टेडियम/खेल मैदान (PLAY GROUND) / वाल्मिकी भवन/सामुदायिक भवन/अम्बेडकर भवन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है ।


(पुष्कर राज शर्मा)
परियोजना निदेशक एवं
पदेन उप सचिव (एसएपी)।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर ।
3. विशिष्ट सहायक, मा.मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर ।
4. विशिष्ट सहायक, मा.राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर ।
5. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
6. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव, वित्त/ग्रामीण विकास एवं पं. राज/जन स्वा.अभि./आयोजना/जनजाति क्षेत्रीय विकास/जल-संसाधन/वन/आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राज.
7. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास/पंचायती राज विभाग, राज.जयपुर ।
8. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग, राज. जयपुर ।
9. संभागीय आयुक्त, समस्त ।
10. सदस्य सचिव एवं सलाहकार, राजस्थान रिवर बेसिन अथॉरिटी, जयपुर ।
11. जिला कलक्टर, समस्त (राजस्थान) ।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (राजस्थान) को उक्त परिपत्र की एक-एक प्रति अपने जिले के संबंधित मा.विधायकगण को उपलब्ध कराने हेतु ।
13. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास को info-rdprd@nic.in पर प्रेषित कर लेख है कि परिपत्र को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें ।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु


परि. निदे. एवं पदेन
उप सचिव(एसएपी- I)